राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1044/2009/उदयपुर.

मैसर्स जी.आर. अग्रवाल बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स लिमिटेड,
27, महाराणा प्रताप कॉलोनी, सेक्टर–13, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 12/आरएसटी/2008–09/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.07.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 1997–98 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 28.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी को वित्तीय वर्ष 1997–98 की अवधि से सम्बन्धित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 56(1) के तहत जो रिफण्ड जारी किया गया था उस पर ब्याज का क्लेम किये जाने पर दिनांक 28.11.2007 को ब्याज की गणना करते हुए आदेश पारित किया गया था जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कार्य संविदा के जो कार्य किये गये थे उसमें उसके अवार्डर द्वारा जो राशि टी.डी.एस. के रूप में कटौती की थी उस राशि को अवार्डर द्वारा मई 1998 में जमा करवाई गई अतः रिफण्ड पर ब्याज की गणना मई 1998 से की गई जबकि अपीलार्थी ने यह क्लेम किया था कि अवार्डर द्वारा अप्रैल 1997 से 31.03.98 के बीच जो राशि टी.डी.एस. के रूप में कटौती की है उसे जमा कराये जाने का दायित्व अवार्डर का था ऐसी स्थिति में अप्रैल 1997

लगातार.....2

से राशि जमा होना मानकर रिफण्ड पर ब्याज की गणना की जानी चाहिये। अपीलीय अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि टी.डी.एस. राशि के जमा होने के कोई सबूत पत्रावली पर नहीं होने से ब्याज की गणना जुलाई 1998 से किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अवार्डर द्वारा टी.डी.एस. के रूप में काटी गई राशि जून 1998 में जमा करवाई गई थी। टी.डी.एस. की राशि जमा करवाये जाने के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह सहमति व्यक्त की है कि अपीलार्थी के टी.डी.एस. राशि जमा होने सम्बन्धी अवार्डर द्वारा प्रमाण प्रस्तुत होने पर ब्याज की गणना कर जमा की तारीख से ब्याज दिया जावे। अतः यह निर्णय किया जाता है कि अवार्डर द्वारा वर्ष 1997–98 में कटौती राशि यदि स्वयं ने जमा करवा दी थी तब ऐसे प्रमाण पेश करने पर अथवा वाणिज्य कर विभाग द्वारा अवार्डर से कटौती राशि की वसूली यदि मय ब्याज कर ली गई है तब अपीलार्थी को उन प्रमाणों के आधार पर उस दिनांक से ब्याज देने हेतु गणना करने के निर्देश दिये जाते हैं परन्तु यदि वे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तब कर निर्धारण आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. उपरोक्तानुसार प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

5. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य